

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of
Management Sciences[PK]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pinteau,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea, Romania

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yallickar
Director Managment Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune
K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotiya
Secretary, Play India Play, Meerut (U.P.)

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S. KANNAN
Annamalai University, TN

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

“ भारत में उपभोक्तों के लिए न्याय पाने हेतु किये जा रहे प्रयास ”

डॉ. राजू रैदास , कन्हैया विश्वकर्मा

अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

शोध सारांश :-

भारत देश में शॉपिंग के मामले में महिलाएँ पुरुषों से कहीं आगे हैं किन्तु उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता के मामलों में आज उनका आँकड़ा सिर्फ ७.४५ प्रतिशत^१ है। जबकि नेशनल कन्ज्यूमर हेल्फ जाईन टोल फ्री नंबर १८००-११-४००० पर देश के सभी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करवाने हेतु फोन नंबर ०७५५-२२५६७७८ भी उपलब्ध है। इसके बावजूद भी उपभोक्ता कदम-कदम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी ही नहीं है और इसके अलावा चलो छोड़ो... जाने भी दो... कौन परेशान होगा?... जैसी मानसिकता के चलते आज भी उपभोक्ता खासकर महिलाएँ अपने उपभोक्ता अधिकारों का उपयोग करने में कतरा रही हैं।

वकील की आवश्यकता नहीं होना, ६० दिन जैसी अल्प अवधि में न्याय प्राप्त होना, न्यूनतम शुल्क, न्यायिक प्रक्रिया की न्यूनता जैसी विशेषताएँ होने पर भी आज हमारे देश में १ जून २०१५ तक राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों में कुल मिलाकर ६६,०६,५४६ मामले पंजीकृत किये गये जिनमें से ५०,६६,६७८ मामलों का निपटारा किया गया।

यदि हम उपभोक्ता मामलों के प्रति जागरूक होकर अपना अधिकार चाहते हैं, तो हमें क्रय की गई वस्तु के देयक के साथ



साहसिक दिल की भी जरूरत है, मानसिकता बदलनी होगी। उपभोक्ता क्लबों का गठन करना होगा। मिडियशन केन्द्रों की संख्या बढ़ाना होगा तथा जागरूकता संबंधी सरकारी प्रयासों में वृद्धि भी करनी होगी।

प्रस्तावना :-

भारत देश विश्व उपभोक्ता बाजार के शीर्ष पायदान पर होते हुए भी आज यहाँ उपभोक्ता अधिक दाम, गारंटी के बाद सेवा नहीं देना, बिना मानक की वस्तु की बिक्री, कम नाप, कम तौल, बिल नहीं देना, बिल मॉगने पर भ्रजपउंजम की कॉपी पकड़वाना, इत्यादि अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में शुल्क की व्यवस्था ठीक नहीं होने से भी अधिकांश उपभोक्तों द्वारा न्याय प्रप्ति से कतराना, अशिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण अदालतों में जाने से घबराना, आज के उपभोक्ता की विवशता प्रतीक हो रही है।

उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने हितों की

रक्षा के लिये उनके अधिकारों से अवगत करवाना तथा उपभोक्ताओं द्वारा न्याय प्राप्ति हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन के प्रारूप, शुल्क, न्याय प्राप्ति की अवधि, उपभोक्ता अदालतों की अधिकारिता, अपील संबंधी प्रक्रिया के उल्लेख के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है। साथ ही वर्तमान तकनीकी युग में उपभोक्ता शिकायत/ विवादों के समाधान हेतु हेल्पलाइन, वेबसाईट इत्यादि की जानकारी के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना भी शोध-पत्र का सहायक उद्देश्य है।

शोध परिकल्पना :-

विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों से उपभोक्ता शोषण के अनेक मामलों की चर्चा होने से यह ज्ञात हुआ कि क्रियोस्क संचालक पोर्टल शुल्क ₹० १२० के स्थान पर एक उपभोक्ता से ₹० ३,०० ले लेता है। ३ स्टाम्प वेण्डर ₹० १० का स्टाम्प ₹० १५ में बेचता है। नोटरी ₹० २५ के स्थान पर ₹० २०० शुल्क लेता है। कोल्ड ड्रिक्स विक्रेता MRP ₹० ३३ के

स्थान पर कोकाकोला ₹० ४० में बेचता है और इसमें से कोई भी बिल नहीं देता है। फिर भी उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के अभाव में उपभोक्ता को यह नहीं पता होता है कि वह क्या करे? जिससे उसका शोषण रूक सके। आम उपभोक्ता शोषण से मुक्ति की प्रक्रिया को जान सके। इसी परिकल्पना के साथ यह शोध-पत्र तैयार किया गया है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र :- शोध-पत्र का क्षेत्र केवल ‘उपभोक्ता’ तक ही सीमित है, अन्य उत्पादकों, एकाकी व्यापारी, साझेदारी संस्थान, कम्पनी तथा अन्य क्रेता, विक्रेताओं एवं सरकारी विभागों के संदर्भ में इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:-

उपभोक्ता (Consumer) - ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्ण या आंशिक मूल्य चुकाकर या मुल्य चुकाने का वायदा करके उपभोग हेतु कोई मामला या सेवा खरीदी हो, उपभोक्ता कहलाता है। परन्तु ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलायेगा। जिसने माल को दुबारा बेचने या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन (Commercial purpose) के लिये खरीदा हो। परन्तु १९६३ के संशोधन के अनुसार क्रेता द्वारा खरीदे गये माल का उपयोग केवल अपने स्व-रोजगार के साधन के रूप में जीविका उपार्जन हेतु किये जाने की दशा में उक्त उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन की श्रेणी में नहीं आयेगा।

परिवाद (Complaint) – किसी परिवादी द्वारा मामला या सेवा में त्रुटी या कमी होने के कारण लिखित में किया गया कोई अभिकथन (Allegation) जिसके आधार पर वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष (Restrictive Trad) चलाता है। संशोधन २००२ द्वारा – परिवाद की परिभाषा में ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ (Restrictive Trade Relief) तथा ‘अवरोधक व्यापार प्रथा’ (Unfair Trade Practic) को शामिल किया गया है।

–२००२ के संशोधन अनुसार – उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि परिवादी होंगे।

उपभोक्ता विवाद (Consumer Dispute) – वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है, परिवाद में किये गये अभिकथनों का प्रतिवाद करता है तो यह विवाद उपभोक्ता विवाद कहलाता है।

शोध व्याख्या :-

कैसे करें उपभोक्ता फोरम में शिकायत :- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी उपभोक्ता द्वारा सामान या सेवा खरीदने के लिये राशि भुगतान की है और वह सामान या सेवा गुणवत्ता या मात्रा में कम निकलता है और विक्रेता ऐसी चीज को बदलता नहीं है या विक्रेता MRP से अधिक मूल्य वसूलता है और यदि उपभोक्ता चुप रह जाता है, तो यह उसका शोषण है। इस शोध-पत्र में उपभोक्ता अपने अधिकार प्राप्ति के लिये शिकायत करके सामान की कीमत तो वसूल कर ही सकते हैं साथ ही हर्जाना भी ले सकते हैं। इसके लिये कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

कौन-कौन सी सेवायें वाद के काबिल हैं अथवा दाखिल किए जा सकने योग्य वाद :-

१. सेवा में कमी।
२. माल में खराबी या कमी (गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक संबंधी)।
३. अनुचित व्यापारिक प्रथा के कारण हानि।
४. अवरोधक व्यापारिक प्रथा के कारण हानि।

वाद जो उपभोक्ता फोरम में दाखिल नहीं हो सकेंगे :-

१. निःशुल्क सेवा (Free of charge service) (शिक्षा)।
२. व्यक्तिगत सेवा की संविदा (Contract of personal service)।
३. व्यवहार न्यायालय (Civil court) के क्षेत्र के मामले तथा अचल सम्पत्ति का सौदा।
४. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामले यथा सरकारी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा।

विभिन्न उपभोक्ता अदालतों की अधिकारिता :-

जिला फोरम :- (रु. २० लाख तक के दावे) (कार्यालय-प्रत्येक जिला मुख्यालय पर)

राज्य आयोग :- (रु. २० लाख से अधिक किन्तु रु. १ करोड़ तक के दावे तथा जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई का अधिकार) (कार्यालय- प्रत्येक राज्य की राजधानी मुख्यालय पर)

म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का कार्यालय ७६, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११ पर स्थित है।

राष्ट्रीय आयोग :- रु. १ करोड़ से अधिक के दावे तथा राज्य आयोग की अपील के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार (कार्यालय - उपभोक्ता न्याय भवन एफ ब्लॉक जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स आई.एन.ए. नई दिल्ली - ११००२३)

वाद प्रस्तुत करने की अवधि :- धारा - २४ (क) के अनुसार जिला फोरम में परिवाद तभी ग्रहण किया जा सकेगा जबकि वह वाद कारण उत्पन्न होने से दो वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया गया हो, यदि पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है तो उपरोक्त समयावधि पश्चात भी परिवाद सुनवाई में लिया जा सकता है।

शुल्क का विवरण :- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम हेतु :-

रुपये एक लाख के दावे तक -	
बी.पी.एल. हेतु	निरंक
अन्य के लिये	रु. १००/-
रुपये एक लाख से अधिक एवं रुपये पाँच लाख तक के दावे हेतु	रु. २००/-
रुपये पाँच लाख से अधिक एवं रुपये दस लाख तक के दावे हेतु	रु. ४००/-
रुपये दस लाख से अधिक एवं रुपये बीस लाख तक के दावे हेतु	रु. ५००/-

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग हेतु :-

रुपये बीस लाख से अधिक एवं रुपये पचास लाख तक के दावे हेतु	रु. २०००/-
रुपये पचास लाख से अधिक एवं रुपये एक करोड़ तक के दावे हेतु	रु. ४०००/-

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग हेतु :-

रुपये एक करोड़ से अधिक के दावों हेतु	रु. ५०००/-
--------------------------------------	------------

शुल्क जमा करने की विधि :-

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के नाम से पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पे-ऑर्डर द्वारा जमा किया जावेगा। राज्य आयोग के लिये संबंधित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग यथा ‘मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग’ के नाम से

तथा राष्ट्रीय आयोग के लिये ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग’ के नाम से शुल्क जमा होगा।

आवेदन में दी जानी वाली जानकारीयों :-

शिकायतकर्ता को आवेदन में खरीदी गई वस्तु या सेवा के बिल के साथ ही निम्नलिखित जानकारीयों तीन प्रतियों में देना चाहिये। मौखिक शिकायत का कोई आधार नहीं रहता है। यदि कोई व्यापारी बिल नहीं देता है, उसके स्थान पर कच्ची रसीद या ऐस्टीमेट बनाकर देता है और उसका माल खराब निकलता है और व्यापारी साफ तौर पर इस बात से इंकार कर देता है कि उसने उक्त माल बेचा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस स्लिप / रसीद या ऐस्टीमेट को शपथ-पत्र के साथ फोरम या आयोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति साथ में सामान लेने गया हो, तो समर्थन में उसका भी शपथ-पत्र लगाने से उपभोक्ता को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतितोष प्राप्त हो सकेगा। :

१. शिकायतकर्ता का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर।
२. विरोधी पक्षकार का नाम, पता।
३. क्रय की गई वस्तु अथवा सेवा का नाम।
४. परिवाद का कारण।
५. परिवाद उत्पन्न होने का दिनांक एवं स्थान।
६. परिवाद का विस्तृत विवरण।
७. फोरम अथवा आयोग से अपेक्षित सहायता का विवरण।
८. परिवाद के समर्थन में लगाये गये दस्तावेजों की सूची एवं उनकी छायाप्रतियाँ।
९. क्षतिपूर्ति का आधार।

शिकायत निराकरण की प्रक्रिया :-

१. वाद स्वीकार्य करने की तिथि से २१ दिन के भीतर जिला फोरम द्वारा विरोधी पक्षकार को इस आशय से सूचना-पत्र जारी करेगा कि वह सूचना प्राप्त के ३० दिन के अन्दर अपना लिखित अभिकथन फोरम को भेजे।
२. प्रयोगशाला की स्थिति में अवधि ४५ दिन रहेगी। जाँच संबंधी व्यय परिवादी वहन करेगा।
३. रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला फोरम उसकी प्रति विरोधी पक्षकार को देना।
४. विरोधी पक्षकार परिवाद के तथ्यों को अस्वीकार करता है या निश्चित समयावधि में जवाब नहीं देता है, तो फोरम साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है।
५. परिवादी की अनुपस्थिति पर वाद खारिज करने की अधिकारिता फोरम के पास रहेगी।

अपील की प्रक्रिया :- राज्य आयोग को अपील :- जिला फोरम का आदेश पारित होने के दिनांक से ३० दिन की अवधि में राज्य आयोग में अपील दाखिल की जा सकती है। विलम्ब से भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

अपील हेतु राशि का भुगतान :- जिला फोरम के आदेशानुसार अपेक्षित रकम का ५० प्रतिशत या २५ हजार रुपये जो भी दोनों में से कम हो अपीलार्थी द्वारा राज्य आयोग के पास जमा करने पर ही अपील स्वीकार की जाती है।

राष्ट्रीय आयोग को अपील :- राष्ट्रीय आयोग के समक्ष राज्य आयोग के निर्णय से ३० दिन में अपील की जा सकती है। अपील विलम्ब से स्वीकार्य होगी।

अपील शुल्क :- राज्य आयोग द्वारा निर्धारित राशि का ५० प्रतिशत या ३५ हजार रुपये जो भी कम हो, अपीलार्थी द्वारा जमा करने पर ही अपील स्वीकार्य होगी।

उच्चतम न्यायालय को अपील :- धारा २३ के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध ३० दिवस में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय इस अवधि में छूट भी दे सकता है।

अपील शुल्क :- राष्ट्रीय आयोग के आदेश में यदि कोई राशि अदा करने का निर्देश हो तो उस राशि का ५० प्रतिशत या ५० हजार रुपये जो भी कम हो अपीलार्थी द्वारा जमा करने पर ही अपील स्वीकार होगी।

अन्य प्रावधान :- १. तुच्छ या तंग करने वाला परिवाद :- धारा २६ के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता द्वारा किसी व्यापारी को परेशान करने की नियत से व्यापारी दोषी नहीं होते हुए भी शिकायत की जाती है तो ऐसे उपभोक्ता की शिकायत हरजाने के साथ खारिज कर दी जायेगी, और ऐसे उपभोक्ता पर रुपये १० हजार तक जुर्माना किया जा सकता है।

२. दण्ड या सजा :- धारा २७ के अनुसार आदेश का पालन नहीं करने वाले पक्षकार को १ माह से ३ वर्ष का कारावास अथवा रुपये २००० से रुपये १० हजार तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। न्यूनतम कारावास १ माह का एवं न्यूनतम जुर्माना रुपये २००० होगा।

आदेशों का पालन करवाना :- यदि पीण्डित पक्षकार उच्च स्तर पर अपील नहीं करता है तो दिया गया निर्णय अंतिम माना जावेगा। अंतिम आदेश का पालन व्यवहार न्यायालयों या उच्च न्यायालयों की तरह ही मान्य होगा।

सुझाव :-

१. शुल्क को सूचना का अधिकार अधिनियम की तरह रुपये १०० से कम करके रुपये १० तक लाया जाना चाहिए।
२. उपभोक्ता जहाँ निवास करता है वहाँ उसे परिवाद दाखिल करने का अधिकार होना चाहिए।
३. परिवादी का परिवाद इस आधार पर खारिज नहीं कर दिया जाना चाहिए कि वह नियत दिनांक को पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ उसे एक अवसर और देना चाहिए।
४. परिवादी के रहन - सहन के स्तर और शिक्षा को ध्यान में रखकर ही परिवाद जारी करना चाहिए।
५. प्रत्येक जिले में उपभोक्ता सूचना केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।
६. स्कूलों तथा कालेजों में उपभोक्ता संरक्षण को पाठ्यक्रम में सामिल किया जाना चाहिए।

७. प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना की जाये एवं उसके माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध हेतु केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

८. शिकायत निवारण हेतु ६० दिन के नियम की अन्देखी करने पर शक्त आदेश जारी होने चाहिए।

जागरूकता हेतु विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यम :-

१. नेशनल कन्ज्युमर हेल्पलाइन नम्बर (टोल-फ्री) १८००-११-४०००
२. मध्यप्रदेश कन्ज्युमर हेल्पलाइन नम्बर ०७५५-२२५६७७८
३. मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाईटूँ उचेबकतबण्णदपबण्णद
४. केश या निर्णय की स्थिति आनलाइन जानने के लिए णवदविदमज
५. भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने हेतु शिकायत के लिए णहंउण्हवअण्णद

निष्कर्ष :-

वर्तमान में भारतीय परिवेश में उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में शोषण के शिकार हो रहे हैं। अधिकांश उपभोक्ता जो कि शोषण की छोटी श्रेणी में आते हैं अर्थात् जिनका परिवाद रुपये १०० से कम मूल्य का होता है वे उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपना समय बरवाद यह सोचकर नहीं करना चाहते कि रुपये १०० तो उन्हें वाद शुल्क ही जमा करना होगा साथ ही महिलाएँ भी अपनी मानसिकता सामाजिक कारणों से नहीं बदल पा रही है। हमारे देश में उपभोक्ता जागरूकता संबंधी कार्य भी बड़े पैमाने पर नहीं होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सेन्ट्रल लॉ इंजेन्सी इलाहाबाद, एस.के.सिंह
२. व्यावसायिक सन्धियम, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, डॉ.एस.एम.शुक्ल
३. रोजगार समाचार-सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय नई दिल्ली वर्ष २०१६
४. www.google.com/wikipedia.com



डॉ. राजू रैदास

अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .



कन्हैया विश्वकर्मा

अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal

For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org